

न्यायालय जिलाकलक्टर, भरतपुर (राज०)
अपील/रसद/03/2022

शालिनी सिंघल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 15 व 16 करवा नदवाई, जिला
भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर जसिये पैशेकार रसद

.....रेस्पोंड

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर
दिनांक 7-12-2016 व वाकत प्रकरण संख्या 58/2016



निर्णय

दिनांक 23-11-2022

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 7-12-2016 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07-12-2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 05/2017 को अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित होने से आदेश दिनांक 04.6.2018 को अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई थी, एवं उक्त इकतरफा आदेश के विरुद्ध एक रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18-6-2019 से खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.6.2018 एवं आदेश दिनांक 18-6-2019 के खिलाफ एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर के समक्ष पेश की गई।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने पुनरीक्षण याचिका संख्या- 54/2019 उनवानी शालिनी सिंघल बनाम जिला रसद अधिकारी स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 05.01.2022 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.6.2018 एवं 18.06.2019 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 05-01-2022 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

(2)

अपील/रसद/03/2022
शालिनी सिंघल बनाम डीएसओ भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर आदेश दिनांक 05-01-2022 द्वारा श्रीमान के आदेश दिनांक 04.6.2018 एवं 18.06.2019 को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः सुनवाई किये जाने बाबत रिमान्ड किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य वगैरे का प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, तहत न्यायालय ने प्रार्थी की अनुपस्थित में आदेश पारित किया है, केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, यह तथ्य तहत न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के आदेश 24 के अनुसार 1 "...कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कोई भी राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो या खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, समस्त युक्ति युक्त समयों पर किसी भी राशन या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टॉक या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के व्यवहार से संबंधित लेखा पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण के प्रयोजनार्थ....।" किन्तु न्यायालय द्वारा इस आदेश कि अवहेलना करते हुये निदेशक तकनीकी राजकोम इनफो सर्विस लि0 के पत्र मात्र के आधार पर बिना किसी जांच के अपीलान्ट के लाईसेन्स को निरस्त करने का जो अपीलाधीन आदेश दिया गया है वह नियमों के विपरीत रहने से खारिज योग्य है। अपीलान्ट के खिलाफ पोस मशीन पर आधार आई.डी. संख्या 358135983069 से 1255 व आधार आई.डी. संख्या 732476917151 से 606 ट्रान्जेक्शन करने का जो आरोप लगाया है सरासर गलत व निराधार है, अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का वितरण राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णतय पोस मशीन के जरिये से ही किया जा रहा है, पोस मशीन में अपीलान्ट के स्तर से किसी प्रकार से कोई हैराफेरी या छेड़छाड नहीं की जा सकती है ना ही उक्त आधार आई.डी. संख्या अपीलान्ट की है नाही अपीलान्ट के पास उपलब्ध पोस मशीन से एक बार में किसी एक आधार कार्ड संख्या से इतने अधिक ट्रान्जेक्शन नहीं किये जा सकते हैं। अपीलान्ट द्वारा सभी उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ही किया जाता रहा है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई जांच नहीं कराई गई एवं ना ही किसी उपभोक्ता के बयान वगैरे लिये गये हैं। अपीलान्ट डीलर के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता ने सामग्री नहीं मिलने बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनयमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारी पत्र की शर्त संख्या 5.11, व 17सी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त शर्तों का किस प्रकार




जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज0)

.....3

(3)


अपील/रसद/03/2022
शालिनी सिंघल बनाम डीएसओ भरतपुर

अपीलान्त ने उलंघन किया है, तहत न्यायालय द्वारा केवल यह लिख देना कि उक्त शर्तों का उलंघन किया गया है पर्याप्त नहीं है बल्कि आरोपों को साक्ष्य सबूतों के आधार पर सदेह से परे जाकर साबित करना चाहिये, तहत न्यायालय ने अपीलार्थी के आदेश में ऐसा नहीं किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने ऐसी ही नेचर के अन्य प्रकरणों विजयभापन सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर एवं ऋषी कटारा बनाम डीएसओ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया है कि समान नेचर के प्रकरण होने से विचाराधीन अपील को भी स्वीकार किया जावे। पोस मशीन के अनुसार एक आधार कार्ड से एक ही राशनकार्ड को जोड़कर रसद सामग्री नहीं निकाली जा सकती है लेकिन कई बार पोस मशीन में तकनीकी खामी एवं उचित प्रशिक्षण के अभाव में ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होना संभव है लेकिन तहत न्यायालय द्वारा बिना किसी विस्तृत जांच/निष्कर्ष के एवं बिना किसी आधारों पर केवल मात्र ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को ही आधार माना जाकर प्रार्थी पर रसद सामग्री के गवन का आरोप माना गया जब कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी उचित निष्कर्ष एवं पोस साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं माना सकता बावजूद इसके जांच अधिकारी द्वारा काल्पनिक तथ्यों के एवं संभावनाओं के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा विभागीय आदेशों/निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना की जाकर पोस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन उपरान्त रसद सामग्री का वितरण किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना की है कि अन्य प्रकरणों की तरह अपीलार्थी का प्रकरण भी समान नेचर के हैं अतः अपीलार्थी का प्रकरण भी जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्त ने पोस मशीन से एक ही आधार आर्डर नम्बर 358135983069 से 1255 ट्रांजेक्शन व आधार कार्ड संख्या 732476917151 से 606 फर्जी ट्रांजेक्शन कर उसी आधार कार्ड धारक की बायोमेट्रिक पहचान अंकित कर गेहू व कैरोसीन का कुटरचित वितरण पोस मशीन में दर्शाया जकार दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,11,व 17सी का उलंघन किया गया है। अपीलान्त अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण पुनः जांच हेतु डीएसओ भरतपुर को भिजवाना चाहता है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलार्थी के आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07-12-2016 का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली डीएसओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण दिनांक 19.9.2016 को डीएसओ ने दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त डीलर को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं, दिनांक 19.9.2016 से दिनांक 29.11.2016 तक प्रकरण अपीलान्त डीलर की तलबी विचाराधीन रहा है, डीलर को नोटिस जारी हुये भी

.....4


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

(4)

अपील/रसद/03/2022
शालिनी सिंघल बनाम डीएसओ भरतपुर


या नहीं पत्रावली पर कोई डिस्पेच नम्बर दर्ज नहीं किया गया है। दिनांक 7-12-2016 को प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस की तामील मानी जाकर अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, प्रवर्तन निरीक्षक ने पत्र क्रमांक/ रसद/ अभियोजन / 2016 /3734 दिनांक 23.11.2016 जो कि डीएसओ भरतपुर ने प्रवर्तन निरीक्षक गजेन्द्र बाबू को लिखा है, पर ही यह रिपोर्ट अंकित की "मौके पर उपस्थित नहीं मिला नोटिस चस्पा किया..." जो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार यह तो निर्विवाद है कि यह अपीलाधीन आदेश तहत न्यायालय ने बिना परिक्षण किये बिना साक्ष्य सबूत लिये पारित किया है।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 5.1.2022 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.6.2018 एवं 18.6.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि ".....खिजककर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें.....।" माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 5.1.2022 के परिप्रेक्ष्य में मेरी विनम्र राय में ट्राईल कोर्ट को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय लिये जाने हेतु को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 07-12-2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्ट को साक्ष्य वगैरे पेश करने का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23-11-2022 को सुनाया गया।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर